न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 80 सन् 2019
पंजीयन दिनांक 11.07.2019

1. राजू पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2. गोविन्द पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
3. श्रीमती सरदार बाई पुत्री नन्दा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
4. श्रीमती नन्दु बाई पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. बाला पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2. मदन पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
प्रकरण संख्या 30/2013 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2018

उपस्थित वक्त बहस – 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. खुमराज कुमावत–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं.3

निर्णय **दिनांक 30.09.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट्गण के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि मोजा रेन का खेडा तहसील रावतभाटा की खाता सं. 181 मे दर्ज आराजी नम्बर 483,484,535,536,539,630,734,827 कुल किता 8 रकबा 3.29 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया। वादपत्र मे अंकित किया कि उक्त आराजीयात अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के शामलाती खातेदारी की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 पारिवारिक बंटवाडे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/4 व शेष हक व हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 का निहित है। उसी अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग-अलग दर्ज करवाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की तामील हुए बगैर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर राजस्व लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना अपीलान्ट प्रतिवादीगण को सुने व बिना किसी लिखित राजीनामे के दिनांक 12.04.2014 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे बिना सूचना दिये फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुने बगैर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की। म्याद को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र कानून म्याद अधिनियम 1963 प्रस्तुत किये। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रार्थना पत्र आ जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने सहखातेदारी की कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किये व यह तथ्य अंकित किये कि उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/4 हक निहित है। उसी अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराया जावे। उक्त पत्रावली दिनांक 10.06.2013 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। पत्रावली मे अपीलान्ट सं. 1 व 2 को कोई सम्मन तामील होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही हुआ। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट सं. 1 व 2 का सम्मन नोटिस तामील होना मानते हुए दिनांक 05.08.2013 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रतिवादी सं. 3 का सम्मन जो कि बइंतजार था। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्रावली को दिनांक 12.04.2014 को लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। तहसीलदार रावतभाटा को फर्द बंटवाडे हेतु कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर स्वंय द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से बिना पक्षकारान को सूचित किये तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2022 पार्ट-1 पेज 61 व आरआरटी 2021 पार्ट-1 पेज 469 प्रस्तुत की। अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे अंकित किया कि विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी रेस्पोडेन्ट सं. 2 व अपीलान्टगण के संयुक्त खातेदारी की होकर आपसी विभाजन कर अलग-अलग काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे आपसी अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया जाकर बंटवाडा चाहा जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये जो प्रोपर तामील होकर प्राप्त हुए जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न है। फिर भी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बंटवाडे का वादपत्र होने से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर स्वंय के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। फर्द बंटवाडे मे सभी को अपने हक व हिस्से के अनुसार रकबा दिया गया है। उक्त फर्द बंटवाडे को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी से द्वेषता रखते है। बंटवाडा नही होना देना चाहते है जिससे गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.04.2014 को राजस्व लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व उसके पश्चात् दिनांक 10.07.2014 को संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री अपीलान्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादी सं. 1 से 3 की अनुपस्थिति मे पारित की गई। तत्पश्चात् कमिश्नर तहसीलदार रावतभाटा को फर्द बंटवाडा प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। पत्रावली मे संलग्न फर्द बंटवाडा दिनांक 20.04.2018 जो कि पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। उक्त फर्द बंटवाडा अधीनस्थ अधिकारियो से लिया जाकर कमिश्नर तहसीलदार रावतभाटा के द्वार विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्द बंटवाडे मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को सूचित किया जाना कही अंकित नही किया गया है। जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के बंटवाडे नियम 18 से 21 के अनुसार कमिश्नर स्वंय के द्वारा उभयपक्षो को सूचित किया जाकर उभयपक्षो की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तैयार किया जाना प्रतिपादित किया गया है। जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2021 पार्ट-1 पेज 469 व आरआरटी 2022 पार्ट-1 पेज 61 इस प्रकरण मे चस्पा होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 30/2012 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाड़ा, बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत करें व उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 14.11.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)